गहलोत के अंधे विरोध के कारण ई.आर.सी.पी. प्रोजैक्ट बरसों लटका और अनाप-शनाप महंगा हो गया

लागत अनाप-शनाप बढ़ गई, क्योंकि राज्य सरकार के पास पैसा नहीं था इसलिए केवल प्रावधान करके छोड़ दिया और प्रोजैक्ट को टालते रहे

-रेणु मित्तल-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 12 सितम्बर। पूर्वी राजस्थान के तेरह जिलों की ई.आर.सी.पी. योजना को पांच साल तक लटकाने का काम अशोक गहलोत ने किया था, वरना जोधपुर सांसद और उस समय के जलशक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की सलाह मानकर ई.आर.सी.पी. को मोदी सरकार के समय घोषित नदी जोड़ो परियोजना पी.के.सी. (पार्वती कालीसिंध चंबल) के साथ जोड़ने की सहमति दे दी होती तो मोदी सरकार को इसे राष्ट्रीय योजना घोषित करना पड़ता और 90 प्रतिशत पैसा केन्द्र से आता एवं आज ई.आर.सी.पी. का आधे से ज्यादा काम पूरा हो चुका होता क्योंकि तब मध्यप्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री कमलनाथ ने भी सहमति दे दी होती जैसे कि आज मोहन यादव ने दी है।

राजा जब व्यक्तिगत जिद का रास्ता अख्तियार कर ले तो प्रजा के हित को सर्वोपरि न माने तो वही हालत होती है जो आज इन तेरह जिलों की जनता की हो रही है।

बहरहाल, अशोक गहलोत ने जिद में चुनावी साल में ई.आर.सी.पी. कॉरपोरेशन की घोषणा की और 9000 करोड़ के बजट की घोषणा कर दी जबकि वित्त विभाग ने इस कॉरपोरेशन को फूटी कौड़ी भी नहीं दी और सिंचाई विभाग को अपने स्तर पर फंड का इंतजाम करने को कहा। सिंचाई विभाग ने कई बांधों के पीछे जमा सैंड को निकालकर कंपनी को बेचने का ठेका जारी किया जिसकी शुरुआत बीसलपुर से हुई और 2900 करोड़ के ठेके में भ्रष्टाचार के आरोप लगे। डॉ किरोड़ी लाल मीणा ने उस समय आरोप लगाए और वर्तमान विधानसभा में सादुलपुर विधायक मनोज न्यांगली ने भी मुद्दा उठाया।

- **उन्होंने केन्द्र सरकार की मदद शायद इसलिए ठुकराई, क्योंकि तब जोधपुर के सांसद गजेन्द्र सिंह शेखावत केन्द्र सरकार में जल संसाधन मंत्री थे और गहलोत को लगता था कि इस पर शेखावत को वाहवाही मिलेगी।**
- **फिर, गहलोत ने चुनावी साल के अपने बजट में 9,000 करोड़ रूपए के प्रावधान के साथ ई.आर.सी.पी. कॉरपोरेशन की घोषणा कर दी, पर, वित्त विभाग ने एक फूटी कौड़ी भी आवंटित नहीं की और सिंचाई विभाग को अपने स्तर पर बजट जुटाने को कहा गया।**
- **इसके बाद शुरु हुआ जमीनों और रेत बेचने का सिलसिला और भारी भ्रष्टाचार का खेल। सार यह है कि ई.आर.सी.पी. को गहलोत ने राजनैतिक खिलौना बना डाला व चहेती कम्पनियों को फायदा पहुंचाने का प्रयास किया।**

इतना ही नहीं गहलोत सरकार शहरों के बीच स्थित सिंचाई विभाग की बेशकीमती जमीनें नीलाम करने की विज्ञप्तियां जारी करने लगी क्योंकि वह केन्द्र सरकार की सहायत बिना 50000 करोड़ की योजना का काम शुरू करना चाहती थी जबकि गहलोत को अच्छी तरह केन्द्र की सहायता के बिना इतनी बड़ी परियोजना का काम सुचारू रूप से आगे बढ़ाना संभव नहीं है।

इसी जिद में गहलोत ने दो बांध और कुछ नहरों के निर्माण का टेंडर आमंत्रित कर लिया और जेब में नहीं होने के कारण एच.ए.एम. मॉडल पर टेंडर आमंत्रित किए। इस मॉडल में सब कुछ डिजाइन कंपनी को करना है लेकिन सरकार काम पूरा होने तक 40 प्रतिशत पैसा देगी जबकि 60 प्रतिशत पैसा सरकार इस अवधि से 20 साल तक ब्याज के साथ हर साल देगी। आखिर करोड़ों रुपए का यह ब्याज जनता क्यों भुगतने जा रही है जब केन्द्र सरकार अब एम.ओ.यू. करवा चुकी है और 90 प्रतिशत राशि केंद्र देने को तैयार दिखाई दे रहा है।

लब्बोलुआब यही है कि ई.आर.सी.पी. को एक राजनीतिक खिलौना तो गहलोत बना ही चुके हैं लेकिन इसके साथ ही एक बड़ी कंपनी के साथ सांठगांठ करके उसे भारी आर्थिक लाभ देने के टेंडर की प्रक्रिया भी शुरू कर गए, जिसमें विभिन्न कंपनियों द्वारा किया गया कार्टेल साफ दिखाई देता है।

डॉ. मोहन भागवत 13 से जयपुर प्रान्त के प्रवास पर

जयपुर, 12 सितंबर। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक डॉ. मोहन भागवत, जयपुर प्रांत में प्रवास के क्रम में 13 सितंबर, शुक्रवार शाम को अलवर पहुंचेंगे। वे 17 सितंबर तक अलवर रहेंगे।

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जयपुर प्रांत के प्रांत संघचालक महेन्द्रसिंह मग्गो ने बताया कि डॉ. भागवत इस दौरान विभिन्न संगठनात्मक बैठकों में सम्मिलित होंगे और दायित्ववान कार्यकर्ताओं से चर्चा करेंगे। पन्द्रह सितंबर को प्रातः इंदिरा गांधी खेल मैदान में स्वयंसेवकों के एकत्रिकरण कार्यक्रम में उद्बोधन देंगे। तत्पश्चात् 17 सितंबर को अलवर से पावटा जाएंगे, जहां महामृत्युंजय महायज्ञ में सम्मिलित होंगे। इसी दिन शाम को पावटा से प्रस्थान करेंगे।

- **राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सूत्रों ने बताया कि डॉ. भागवत 13 से 17 सितम्बर तक जयपुर प्रान्त में प्रवास पर रहेंगे और संगठन के कई कार्यक्रमों में भाग लेंगे।**

प्रांत संघचालक ने बताया कि कार्यकर्ताओं के प्रबोधन और उनकी संभाल की दृष्टि से सरसंघचालक का देशभर में नियमित प्रवास होता है। इसी क्रम में जयपुर प्रांत का प्रवास है। सन् 2025 में आ रहे संघ के शताब्दी वर्ष में संघ कार्य के विस्तार एवं समाज परिवर्तन के कार्यों को गति प्रदान करने और कार्यकर्ताओं का प्रबोधन जैसे विषयों पर भी वे चर्चा करेंगे।

'प्र.मंत्री शेख हसीना के प्रत्यर्पण की बात मनगढ़ंत'

भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा, हमें बांग्लादेश से शेख हसीना के प्रत्यर्पण का कोई अनुरोध प्राप्त नहीं हुआ है

नयी दिल्ली 12 सितंबर (वार्ता) सरकार ने बंगलादेश की अंतरिम सरकार की ओर से देश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के प्रत्यर्पण के अनुरोध की रिपोर्ट को 'काल्पनिक' करार दिया है।

विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने गुरुवार को यहां नियमित ब्रीफिंग में श्रीमती हसीना को प्रत्यर्पित किये जाने संबंधी ढाका से आ रहीं रिपोर्टों पर प्रतिक्रिया पूछे जाने पर कहा, 'हमने पहले भी कहा है कि ये सवाल काल्पनिक है। जहां तक श्रीमती हसीना की स्थिति का सवाल है तो बंगलादेश की पूर्व प्रधानमंत्री बहुत कम समय के नोटिस पर सुरक्षा के संदर्भ में यहां आयीं थीं। इससे अधिक हमें कुछ नहीं कहना है।'

जायसवाल से पूछा गया था, 'क्या भारत सरकार को बंगलादेश से श्रीमती हसीना के प्रत्यर्पण का कोई अनुरोध मिला है? यदि ऐसा अनुरोध आता है तो भारत सरकार का क्या कदम होगा? तथा श्रीमती हसीना की अभी क्या स्थिति है, क्या वह राजनीतिक शरणार्थी हैं?'

ढाका में स्थानीय मीडिया में ऐसी रिपोर्टें आयीं हैं जिनमें अंतरिम सरकार के नेताओं के हवाले से कहा जा रहा है कि श्रीमती हसीना को भारत से प्रत्यर्पित कराया जाएगा।

- **भारतीय विदेश मंत्रालय ने कहा है कि शेख हसीना बहुत ही शॉर्ट नोटिस पर भारत आईं थीं। इस मामले में भारत अब कोई भी टिप्पणी नहीं करना चाहता।**

पिछले माह पांच अगस्त को बंगलादेश में छात्र आंदोलन अनियंत्रित होने के बाद सेना के हाथ खड़े कर देने के बाद श्रीमती हसीना को अचानक इस्तीफा देकर देश छोड़ना पड़ा था। वह बंगलादेश वायुसेना के विमान से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के हिंडन वायुसैनिक अड्डे पर पहुंची थीं। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने हवाईअड्डे पर उनसे मुलाकात की थी। तब से श्रीमती हसीना यहां अज्ञात स्थान पर रह रहीं हैं।

ममता बनर्जी ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

लाने की माँग चल रही है। तृणमूल कांग्रेस के कुछ सदस्य ने केवल ममता बनर्जी की जगह उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी को मुख्यमंत्री बनाने की माँग की।

ज्ञातव्य है कि अभिषेक बनर्जी पार्टी के वरिष्ठ सदस्यों को कार्यकारी पदों से हटाकर उनके स्थान पर युवा चेहरों को लाने के लिए अभियान चलाते आए हैं।

आज आंदोलनरत जूनियर डॉक्टरों ने मुख्यमंत्री के साथ मीटिंग के लिए मना कर दिया। उनका कहना है कि इस मीटिंग का डायरैक्ट टैलिकास्ट होना चाहिए, जिसके बिना वो मुख्यमंत्री से नहीं मिलेंगे। ममता बनर्जी की हरकतों से भली-भाँती परिचित जूनियर डॉक्टरों ने, समस्त कार्यवाही का टी.वी. पर लाइव टैलिकास्ट किए बिना मुख्यमंत्री से मुलाकात से इन्कार कर दिया। ममता बनर्जी ने टी.वी. चैनलों पर मीटिंग रिकॉर्ड करवाने से इन्कार कर दिया।

जूनियर डॉक्टर इस बात से बखूबी परिचित हैं कि मुख्यमंत्री मीटिंग के ब्योरे को अपने हिसाब से तोड़फकर तथा भ्रामक तरीके से जनता के समक्ष प्रस्तुत करेंगी। इसलिए, डॉक्टर लाइव टेलिकास्ट की माँग कर रहे हैं।

मेडिकल समुदाय अभूतपूर्व एकता प्रदर्शित कर रहा है तथा आज तो राज्य के सीनियर डॉक्टरों ने भी जूनियर डॉक्टरों के साथ खड़े होने के अपने निर्णय की घोषणा कर दी। उन्होंने कहा कि अगर राज्य सरकार उनकी माँगों के आगे नहीं झुकती है तो सीनियर्स भी काम रोक देंगे तथा उनका साथ देंगे।

मेडिकल समुदाय ने सर्वोच्च न्यायालय के उस आदेश की खुली अवज्ञा दर्शा दी है, जिसमें उन्हें काम पर लौटने के निर्देश दिए गए थे। सर्वोच्च न्यायालय ने इस केस को अपनी ओर से ही कलकत्ता उच्च न्यायालय से ले लिया था तथा डॉक्टरों को उनका काम फिर से शुरू कर देने के निर्देश दिए थे।

लेकिन जूनियर डॉक्टरों ने अपना आन्दोलन जारी रखा तथा अपनी पाँच सूत्रीय माँग को पूरी तरह स्वीकार किए जाने की माँग पर जमे रहे। उनकी मुख्य माँग यह है कि कोलकात्ता के आर.जी.कार मेडिकल कॉलेज में एम.डी. की तैयारी कर रही उनकी युवा सहकर्मी लेडी डॉक्टर के हत्यारों की पहचान तथा पूरे मामले की निष्पक्ष जाँच की जाये।

इस जूनियर डॉक्टर को भयंकर यातनाएं दी गई थीं तथा उसकी हत्या कर दी गई थी। लेकिन उलझाने वाली बात यह है कि राज्य सरकार ने वह सब करने की कोशिश कीं, जो वह साक्ष्यों को नष्ट करने तथा इस केस को दबा देने के लिए कर सकती थी।

चूँकि ममता बनर्जी मुख्यमंत्री होने के साथ ही, पुलिस मन्त्री तथा स्वास्थ्य मन्त्री भी हैं, इसलिए रेप और मर्डर के केस की जाँच-पड़ताल तथा साक्ष्यों के रखरखाव की मुख्य जिम्मेदारी उनकी ही बनती है। मृत डॉक्टर के शव का अन्तिम संस्कार आनन-फानन में कर दिया गया तथा साक्ष्यों को समाप्त करने के लिए, अपराध-स्थल को पूरी तरह ध्वस्त कर दिया गया।

केस की जाँच की जिम्मेदारी सी.बी.आई. को सौंप दी गई, जो कि स्थानीय पुलिस पर विश्वास के अभाव का प्रतीक है। लेकिन एक महीने के बाद भी, एक पैरा पुलिसकर्मी के अलावा, हत्या में लिप्त एक भी व्यक्ति की गिरफ्तारी नहीं हुई है। वस्तुतः पैरा पुलिस की सम्भावित लिप्तता के बारे में परस्पर विरोधी बातें सामने आ रही है तथा अलग-अलग समय पर अलग-अलग बातें कहीं गई हैं।

सर्वोच्च न्यायालय की तीन जजों की बैंच द्वारा स्वतः संज्ञान लेकर सुने गए इस केस में, बैंच द्वारा दिए गए फैसले को लेकर पूरा मेडिकल समुदाय किसी भी स्थिति तक जाने की मुद्रा में है।

'उन्हें ढोल-ताशे बजाने दो'

-जाल खंबाता-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 12 सितम्बर। सर्वोच्च न्यायालय ने गुरुवार को नैशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एन.जी.टी. वैस्टर्न घाट ज़ोन बैंच) के उस आदेश पर स्टे दे दिया, जिसमें पुणे में भगवान गणेश की मूर्ति के विसर्जन के धार्मिक कार्यक्रम के दौरान ढोल-ताशे-झांझ समूहों में 30 लोगों की अधिकतम सीमा तय कर दी गई थी।

महाराष्ट्र सरकार, पुणे प्रशासन, महाराष्ट्र प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड तथा अन्य को नोटिस जारी करते हुए, मुख्य न्यायाधीश डी.वाई.चन्द्रचूड़, न्यायमूर्ति जे.बी.पारदीवाला तथा मनोज मिश्रा की बैंच ने कहा, "लोगों को ढ़ोल-ताशा बजाने दो, यह तो पुणे की भावनाओं से जुड़ा आयोजन है।"

ग्रीन ट्रिब्यूनल की वैस्टर्न घाट ज़ोन बैंच के आदेश पर स्टे देते हुए, अदालत ने कहा, "(एन.जी.टी. के) निर्देशों से वे लोग प्रभावित होंगे, जो गणेशोत्सव के दौरान ढोल-ताशे बजाते हैं। एन.जी.टी. की निर्देश संख्या 4 पर स्टे रहेगा। उन्हें ढोल-ताशे बजाने दो। यह पुणे की भावनाओं से जुड़ा आयोजन है।"

- **सुप्रीम कोर्ट ने पुणे में गणेश विसर्जन के दौरान ढोल ताशे बजाने वाले समूहों में 30 से ज्यादा लोग नहीं होने के नैशनल ग्रीन ट्रिब्युनल के आदेश पर रोक लगा दी है।**

याचिकाकर्ताओं, जिनमें 'युवा वाद्य पाठक ट्रस्ट' भी शामिल है, की ओर से प्रस्तुत एडवोकेट ने कहा कि 'ढोल-ताशे' का पुणे के गणेश उत्सव के लिए बहुत बड़ा सांस्कृतिक महत्व है। इस उत्सव को होते 100 वर्ष से अधिक समय हो गया।

30 अगस्त को, एन.जी.टी. की वैस्टर्न घाट ज़ोन बैंच ने आदेश दिए थे कि निर्देशों के एक हिस्से के रूप में, पुणे के विसर्जन जुलूस के दौरान तथा गणेश-पांडालों के इर्द-गिर्द शोर की मॉनिटरिंग हो, जिससे न सितम्बर से शुरू हुए इस 10 दिवसीय गणेशोत्सव के दौरान ध्वनि प्रदूषण नियन्त्रित रहे।

एन.जी.टी. ने लाउडस्पीकरों पर नियन्त्रण लगाते हुए कहा था कि एक पंडाल में कुल 100 वॉट की क्षमता से ज्यादा लाउडस्पीकर नहीं होंगे। इसके अलावा, टोल (धातुनिर्मित अत्यधिक शोर करने वाली यूनिट) तथा डी.जे. सैट भी विसर्जन जुलूसों में निषिद्ध होंगे। अन्य निर्देशों में, ढोल-ताशा-ज़ंग बजाने वाले किसी भी ग्रुप में 30 से ज्यादा लोग नहीं होने का निर्देश शामिल था।

'फॉरैन्सिक लैब्स में पैन्डिंग 18,282 केस प्रदेश के किस-किस क्षेत्र से संबंधित हैं?'

हाई कोर्ट ने राज्य सरकार से जवाब तलब किया

जयपुर, 12 सितबर (का.सं.)। हाईकोर्ट ने गृह विभाग से पूछा है कि इस वर्ष 31 अगस्त तक प्राप्त डी.एन.ए. सैंपल में से कितने प्रकरणों में जांच रिपोर्ट दस दिन के बाद दी गई। इसके अलावा भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता के प्रावधानों के तहत क्या प्रदेश में विधि विज्ञान प्रयोगशालाओं की संख्या में वृद्धि और उनमें प्रशिक्षित विशेषज्ञ व मानव संसाधनों को बढ़ाने के लिए कोई एक्शन प्लान तैयार किया गया है।

गौरतलब है कि अदालत में एक जमानत याचिका की सुनवाई के दौरान फौरेंसिक साईंस लैब (एफ.एस.एल.) द्वारा लम्बे समय तक रिपोर्ट जारी नहीं किये जाने के कारण लैबों की गुणवत्ता व मापदंड सुधारने के संबंध में स्वतः संज्ञान लिया और सरकार को आदेश जारी किये गये थे।

इस संबंध में गत 1 अप्रैल को हाईकोर्ट की खंडपीठ के समक्ष राज्य सरकार ने शपथ पत्र पेश कर कहा था कि प्रदेश में 18282 ऐसे प्रकरण हैं जहां एफ.एस.एल. रिपोर्ट लंबित है। सितम्बर माह के पहले सप्ताह में हुई सुनवाई के दौरान अदालत ने राज्य सरकार से पूछा कि 18282 मामले किन-किन क्षेत्रों में लंबित हैं। यह स्पष्ट करने के लिये कि किस क्षेत्र में एफ.एस.एल. की रिपोर्ट के सबसे ज्यादा मामले लंबित हैं और क्यों। सी.जे. एम.एम. श्रीवास्तव और जस्टिस आशुतोष कुमार की खंडपीठ ने यह आदेश इस संबंध में लिए गए स्वप्रेरित प्रसंज्ञान में एकल पीठ की ओर से भेजे जमानत प्रकरण पर सुनवाई करते हुए दिए।

- **हाई कोर्ट ने एफ.एस.एल. की रिपोर्ट जारी नहीं किए जाने तथा लैब्स की गुणवत्ता व मापदंड सुधारने के लिए स्वतः संज्ञान लेते हुए गृह मंत्रालय से जवाब तलब किया है।**
- **हाई कोर्ट ने पूछा कि भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता के प्रावधानों के तहत प्रदेश में फॉरेन्सिक लैब्स की संख्या बढ़ाने, उनमें प्रशिक्षित विशेषज्ञ लगाने के बारे में सरकार का क्या एक्शन प्लान है।**

अदालत ने कहा कि पूर्व में राज्य सरकार की ओर से पेश शपथ पत्र से पता चलता है कि नमूनों के डी.एन.ए. परीक्षण के लिए कोई मानक समय निर्धारित नहीं है। प्रयोगशालाओं के वैज्ञानिकों की ओर से औसतन पांच से सात दिन का समय लिया जा रहा है, उल्लेखनीय है कि जघन्य अपराधों के मामलों में सैंपल की अधिक दिनों तक जांच नहीं होने पर वह जांच योग्य नहीं रहता। सरकार ने अपने जवाब में आगे कहा कि जघन्य अपराधों के मामलों को प्राथमिकता से लिया जा रहा है। वहीं इस प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए 50 संविदाकर्मी लगाए गए हैं और नियमित पदों पर भर्ती प्रक्रिया जारी है।

गौरतलब है कि एकलपीठ ने इस मामले में स्वतः संज्ञान लेने के आदेश इसलिये दिये थे क्योंकि जमानत के आवेदन पर सुनवाई करने के मामलों में भी एफ.एस.एल. रिपोर्ट सही समय पर पेश नहीं की जा रही थी।

उल्लेखनीय है कि निचली अदालतों में जघन्य अपराधों के संबंध में मामलों में तो अंतिम फैसले सुनाये जाने तक एफ.एस.एल. रिपोर्ट पेश नहीं होती थी, जिससे अपराधी को पकड़ने या निर्दोष को जमानत देने तक के फैसले लंबित रहते हैं।

बहरहाल राज्य सरकार ने हाईकोर्ट के समक्ष दिये गये अपने जवाब में कहा है कि प्रदेश में छह क्षेत्रीय प्रयोगशालाएं और एक राज्य स्तरीय प्रयोगशाला कार्यरत है।

अदालत ने राज्य सरकार को चार सप्ताह का समय दिया है और कहा है कि वह भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता के प्रावधानों को देखते हुए गृह विभाग में लंबित प्रकरणों और एफ.एस.एल. के संसाधनों को लेकर जानकारी पेश करें और यह बताये कि वह इस संबंध में कोई एक्शन प्लान लागू कर रही है कि नहीं।

अशोक गहलोत ने सभी घोड़े...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

तक चलेगा तथा इसमें उन्हें ज्यादा श्रम करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी।

हरियाणा चुनावों के लिए वित्त-पोषण का काम हूड्डा कर रहे हैं, इसलिए उन्हें धन की भी आवश्यकता नहीं है। सामान्य रूप से, मुख्यमन्त्री को ही पर्यवेक्षक नियुक्त किया जाता है, जिससे वे चुनावों के लिए पैसे की व्यवस्था करके, इस मामले में पार्टी की मदद कर सकें।

गांधी परिवार उन्हें समायोजित करने मूड में नहीं है, हालाँकि सूत्रों का कहना है कि वे प्रियंका गांधी से सम्पर्क बनाए हुए हैं तथा वे यदा-कदा उनकी बात सुन लेती हैं।

सचिन पायलट और जितेन्द्र सिंह के ए.आई.सी.सी. में महासचिव पदों पर होने के कारण, गहलोत को अपना रास्ता मुश्किल प्रतीत हो रहा है।

तत्कालीन कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के खिलाफ गहलोत के विद्रोह के बाद, सोनिया गांधी तथा राहुल - दोनों ही उनसे अच्छे-खासे नाराज हैं तथा उन पर भरोसा करने के मूड में नहीं हैं।

अशोक गहलोत सत्ता के भूखे नेता के रूप में सामने आए थे, जो अपने मुख्यमंत्री पद को बनाए रखने की खातिर, किसी भी हद पर रुकने के लिए तैयार नहीं थे।

वे ऐसा तब तक करते रहे, जब तक राजस्थान की जनता ने उन्हें हरा नहीं दिया।

उसके बाद, उनके पुत्र वैभव भी लोकसभा चुनाव हार गए थे।

गहलोत गांधी परिवार के बहुत प्रिय नेता थे। वे उन्हें इतने ज्यादा पसंद थे कि सोनिया गांधी ने कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए उनका चयन किया था, जिसे उन्होंने दो-टूक शब्दों में अस्वीकार कर दिया क्योंकि वे राज्य के मुख्यमंत्री बने रहना चाहते थे। इन सब लम्बी-चौड़ी बातों तथा तिकड़मों के पीछे सचिन पायलट के प्रति उनकी घोर नफरत थी। गहलोत यह सुनिश्चित करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते थे कि सचिन पायलट उन्हें पछाड़ कर, मुख्यमंत्री नहीं बन जायें।

इस परिदृश्य में, गहलोत अब पिछड़ गए हैं तथा जयपुर और नई दिल्ली में अब उनका कोई खास महत्व नहीं रहा है। इस विपरीत स्थिति में, वे अपनी वापसी के लिए तथा प्रासंगिक बने रहने के लिए अपने सारे सूत्रों तथा सम्पर्कों को काम में ले रहे हैं।

मोदी का चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ के अवास पर जाना रास नहीं आया शिवसेना को

शिवसेना और एन.सी.पी. के प्रमुख नेताओं ने इस मामले में आपत्ति जताई

मुंबई,12 सितंबर (वार्ता) महाराष्ट्र में विपक्षी महा विकास अघाड़ी (एमवीए) ने गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के भगवान गणेश की पूजा करने के लिए नयी दिल्ली में भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) डी वाई चंद्रचूड़ के आवास पर जाने को 'अभूतपूर्व' बताया।शिवसेना (यूबीटी) के नेता एवं राज्यसभा सदस्य संजय राउत ने संदेह जताया कि क्या शिवसेना के उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाले गुट को न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ के अधीन न्याय मिलेगा। उन्होंने सीजेआई को महाराष्ट्र के दो प्रमुख राजनीतिक दलों - शिवसेना (यूबीटी) और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी(एसपी) से जुड़ी याचिका की सुनवाई से खुद को अलग करने की सलाह दी।

राउत ने कहा , 'न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ नवंबर में सेवानिवृत्त हो रहे हैं। दिल्ली में भी कई जगहों पर गणेश उत्सव मनाया जाता है। लेकिन मुझे यकीन नहीं है कि मोदी न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ के अलावा किसी और के घर गये हैं या नहीं। वह उनके घर गये और साथ में आरती भी की।' राज्यसभा सदस्य ने यह भी सवाल उठाया कि क्या प्रधानमंत्री, जो इस मामले में एक पक्ष भी हैं, और मुख्य न्यायाधीश, जो इस मामले में फैसला सुनाने जा रहे हैं, संविधान और प्रोटोकॉल का पालन कर रहे हैं। राकांपा (एसपी) की सुप्रिया सुले और क्लाइड क्रैस्टो तथा कांग्रेस के अतुल लोंधे एवं सचिन सावंत ने इस घटनाक्रम पर आपत्ति जतायी।

सीता की विनम्रता व दोस्ताना याद रहेगा...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

बोल सकते थे, उनकी भाषा इतनी सरल थी कि सड़क पर चलने वाले आम आदमी को भी समझ में आ जाती थी। अगर माकपा उन्हें दोबारा प्रत्याशी बनाती तो वे प.बंगाल से जीत जाते, जहाँ कांग्रेस उनका समर्थन करने के लिए तैयार थी।

राजनैतिक हलकों में माना जाता था कि येचुरी कांग्रेस नेता राहुल गांधी के सलाहकार थे और इंडिया गठबंधन के पीछे उनका बड़ा हाथ था।

12 अगस्त 1952 में चेन्नई में जन्मे येचुरी तेलुगू भाषी परिवार के थे। उनके पिता सर्वेश्वर सोमायाजुला येचुरी आंध्र प्रदेश परिवहन निगम में इंजीनियर थे, उनकी मां कल्पाकम येचुरी सरकारी अफसर थीं। हैदराबाद में पले बढ़े येचुरी ने दसवीं तक ऑल सेंट हाई स्कूल में पढ़ाई की थी।

वर्ष 1969 में तेलंगाना आंदोलन के कारण वे दिल्ली आ गए, जहां उन्होंने प्रैसीडैन्ट्स एस्टेट स्कूल में एडमीशन लिया और सी.बी.एस.ई. बोर्ड परीक्षा में देश भर में पहला स्थान प्राप्त किया। उसके बाद उन्होंने सैंट स्टीफन्स कॉलेज से अर्थशास्त्र में बी.ए. (ऑनर्स) किया और फिर जवाहर लाल नेहरू युनिवर्सिटी से अर्थशास्त्र में एम.ए. किया। दोनों बार उन्होंने प्रथम स्थान प्राप्त किया। वे जे.एन.यू. से ही पीएच.डी. कर रहे थे, पर आपातकाल में गिरफ्तारी की वजह से उन्हें रिसर्च छोड़नी पड़ी।

येचुरी 1974 में माकपा की छात्र शाखा स्टूडैंट फैडरेशन ऑफ इंडिया (एस.एफ.आई.) में शामिल हुए थे और इसीलिए 1975 में लगे आपातकाल में उनकी गिरफ्तारी हुई थी। आपातकाल के बाद वे जे.एन.यू. छात्र संघ के अध्यक्ष बने। उन्होंने और प्रकाश करात ने जे.एन.यू. को समाजवादी-वामपंथी गढ़ बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

सन् 1978 में येचुरी एस.एफ.आई. के अखिल भारतीय अध्यक्ष चुने गए। पहली बार केरल व बंगाल से बाहर का कोई व्यक्ति एस.एफ.आई. का अध्यक्ष बना था। वर्ष 1984 में माकपा का संविधान संशोधित हुआ और पांच सदस्यीय केन्द्रीय सचिवालय गठित किया गया, जिसमें येचुरी, प्रकाश करात, सुनील मोईत्रा, पी. रामचंद्रन, एस. रामचंद्रन, पिल्सै जैसे युवा नेता शामिल किए गए थे, जिन्हें पोलित ब्यूरो के निर्देशानुसार काम करना था।

1992 में माकपा की चौदहवीं कांग्रेस में येचुरी को पोलित ब्यूरो का सदस्य बनाया गया और 19 अप्रैल 2015 में विशाखापट्टम में हुई 21वीं कांग्रेस में वे पार्टी के पांचवे महासचिव बनाए गए। उनसे पहले प्रकाश करात महासचिव थे, जो 2005 से 2015 तक तीन कार्यकाल तक माकपा के महासचिव रहे। हैदराबाद में 18 अप्रैल से 22 अप्रैल 2018 से तब हुई कांग्रेस में उन्हें दोबारा महासचिव चुना गया। उसके बाद कन्नूर में हुई कांग्रेस में अप्रैल 2022 में उन्हें तीसरी बार माकपा महासचिव चुना गया।

येचुरी पूर्व महासचिव हरकिशन सिंह सुरजीत की गठबंधन निर्माण विरासत के पक्षधर थे। उन्होंने पी. चिदम्बरम के साथ मिलकर 1996 में संयुक्त मोर्चा सरकार का कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाया था और 2004 में यू.पी.ए. के निर्माण में भी उनकी सक्रिय भूमिका थी। येचुरी पार्टी के अन्तर्राष्ट्रीय विभाग के भी प्रमुख थे और अक्सर समाजवादी देशों की यात्रा पर जाने वाले पार्टी के प्रतिनिधि मंडल का भी हिस्सा होते थे।

येचुरी ने बी.बी.सी. के साथ काम कर चुकी सीमा चिश्ती से शादी की थी। उन्हें पूर्व पत्नी इंद्राणी मजूमदार से एक बेटा और बेटी थी। उनकी पुत्री अखिला यू.के. में पढ़ाती हैं। उनके पुत्र का 2021 में कोविड के कारण 34 साल की उम्र में देहांत हो गया था।

येचुरी की जे.एन.यू. पृष्ठभूमि के कारण मेरा उनसे परिचय हुआ था। अशोक रोड पर माकपा ऑफिस में जब मैं प्रकाश करात से मिलने गया था, तब मेरी येचुरी से बात हुई थी। मेरे जे.एन.यू. छोड़ने के कई सालों बाद येचुरी जे.एन.यू. में आए थे। मैं जे.एन.यू. से पूर्वी ज़र्मनी की हमबोल्ट युनिवर्सिटी चला गया था। सीता ने जब मुझे करात के कक्ष से बाहर निकलते देखा तो वे मेरे पास आए तथा खुद का परिचय जे.एन.यू. के छात्र के रूप में दिया। उनकी विनम्रता ने मेरा दिल छू लिया और तब से हम दोस्त बन गए। मेरी तरफ से उन्हें अश्रुपूर्ण श्रृद्धांजलि।

मांडया में सांप्रदायिक...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

उस शोभायात्रा पर पत्थर फैंके गए हैं। और शीघ्र ही, इस खबर ने साम्प्रदायिक रंग ले लिया।

माँड्या जिले, जिसके अन्दर उक्त गाँव स्थित है, के बहुत से दुकानदारों ने बताया कि झगड़ों के दौरान, उनकी दुकानें भी तोड़ी गई। पुलिस का कहना है कि झड़पें उस समय शुरू हुईं, जब शोभायात्रा एक धार्मिक स्थल से गुजरते वक्त धीमी हो गई थी।

पुलिस के अनुसार, शोभायात्रा उस पूजा-स्थल के पास स्थिर बनी रही तथा कथित रूप से, इस स्थिति के कारण झड़पें शुरू हो गई। पुलिस के अनुसार, अब स्थिति नियन्त्रण में है, लेकिन सुरक्षा व्यवस्था मजबूत कर दी गई है। माँड्या में 14 सितम्बर तक के लिए निषोधाज्ञा लागू कर दी गई है। मुख्यमंत्री ने 'एक्स' पर कहा, "मैं जनता से अनुरोध करता हूँ कि वह हमें सहयोग प्रदान करे तथा उत्तेजना का शिकार हुए बिना, स्वयं को नियन्त्रित रखे एवं शान्ति बनाये रखे।"

राज्य के गृहमन्त्री ज़ी परमेश्वर ने कहा कि यह घटना उत्तेजना के कारण हुई। उन्होंने कहा कि दोनों ही पक्षों के 52 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। सी.सी.टी.वी. फुटेज की समीक्षा करने के बाद, उनके खिलाफ केस दर्ज किए जायेंगे।

माँड्या जिले के प्रभारी मन्त्री एन.चेलूवराया स्वामी ने कहा कि अब स्थिति शान्तिपूर्ण तथा नियन्त्रण में है।

भाजपा और जे.डी. (एस.) ने तुरन्त ही इस घटना का राजनीतिकण कर दिया। विधानसभा में विपक्ष के नेता आर.अशोक (भाजपा) ने आरोप लगाया कि गणेश प्रतिमा के जुलूस पर हुआ हमला "तुष्टिकरण की राजनीति का नतीजा है।"

भाजपा की सहयोगी तथा गठबन्धन पार्टनर, भारी उद्योग एवं इस्पात के केन्द्रीय मन्त्री तथा जे.डी.(एस.) नेता एच.डी. कुमारास्वामी ने कहा कि राज्य की कानून व्यवस्था फेल हो गई है। उन्होंने भाजपा के स्वर में स्वर मिलाते हुए कहा कि अगर कांग्रेस पार्टी ने तुष्टिकरण की राजनीति नहीं रोकी तथा कांग्रेस के "बुरे दिन दूर नहीं हैं।"

सलेक्टिव मीडिया, कोटा के लिए मुद्रक एवं प्रकाशक सोमेश शर्मा द्वारा वतन प्रेस पलायथा हाऊस, छत्रपति शिवाजी रोड, कोटा से मुद्रित एवं प्रकाशित। संपादक-राजेश शर्मा आर.एन.आई. नं. 28446/75, जयपुर कार्यालयः सुधर्मा एम.आई.रोड, जयपुर। फोन: 2372634, 4103333-34, फैक्स : 0141-2373513, बीकानेर कार्यालय : कुम्भाना हाऊस, हनुमान हत्था, बीकानेर। फोन: 2200660, फैक्स 0151-2527371, उदयपुर कार्यालयः आयड मैन रोड आयड, उदयपुर।